

(13)
निम० ५७१७/२०१८/रीवा/भृष्ट

न्यायालय : माननीय राजस्व मँडल म०प्र० ग्वालियर सर्किंट कोर्ट रीवा

म०प्र०।

निगरानी क्र०/

/०१८



० मृत्रासामिन्द्र बिहार
देश । १९.९.१८

कानूनी अधिकारी
ग्राम मण्डल म०प्र० ग्वालियर
(सर्किंट कोर्ट के लिए)

रमेश सिंह तनयराजमणि सिंह उम्र-५८ वर्ष पेशा-खेती निवासी ग्राम डिहिया

तह० हुजूर, जिला रीवा, म०प्र०।

---- आवेदक/निगरानी कर्ता

बनाम्

०१- काजी सिंह तनय ललन सिंह उम्र-४५ वर्ष

०२- धनेश प्रताप सिंह तनय ललन सिंह उम्र-४० वर्ष

०३- उमेश प्रताप सिंह मृत वारिसान -

अ- श्रीमती अनीता सिंह पत्नी स्व० उमेश प्रताप सिंह उम्र-४० वर्ष

ब- सत्य प्रताप सिंह तनय स्व० उमेश प्रताप सिंह उम्र-२० वर्ष

स- श्रीतल सिंह पुत्री स्व० उमेश प्रताप सिंह उम्र-१८ वर्ष

०४- चिंतामणि सिंह तनय सज्जन सिंह उम्र-४२ वर्ष

०५- नरेन्द्र सिंह तनय सज्जन सिंह उम्र-४० वर्ष

०६- प्रीतम सिंह तनय सज्जन सिंह उम्र-३५ वर्ष

०७- मु० पार्वती सिंह पत्नी सज्जन सिंह उम्र-७५ वर्ष

सभी निवासी ग्राम डिहिया तह० हुजूर, जिला रीवा, म०प्र०।

---- अनांग/गैर निगरानी
कर्ता

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्री मानू झमर आयुक्त

महोदय रीवा संभाग रीवा के प्रक०क्र० १२१/अमील/

२००६-०७ के आदेश तिथाक २०.०८.०१८ से पारित।

निगरानी अंतर्गत धारा ५० म०प्र०भ०रा०स० १९५९

=

रमेश कुमार भट्टे

(13)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश रवालियर
अनुबृति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0-5717 / 2018 / रीवा / भू-रा०

जिला- रीवा

रमेश सिंह / काशी सिंह वगैरः

(1)	(2)
18.12.18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री संजय कुमार तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिशनर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1221/अप्रैल/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 19.09.18 प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म0प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;">✓ सदस्य</p> 